

ज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

22

12/3/23 मंत्रालय (सं.) आंध्रप्रदेश राज्यपाल के

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

2016/80648

श्री राजेश कुमार

श्री श्री श्री

नाम व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
जारी हुए

16/23

पत्रावली पेश हुई। आभिनाषक अपीलार्थ व रस्यो
सं 6/2, 7/3, 8/2 उप. पत्रावली प्रकृतमार वापस
तलनी नोरीन रस्यो सं. 7/2, 11/2, 12/3, 13/4, 14/5
(सोपले 8) व वलन प्राप्ता 0.22, 24, 25
रस्यो 3, 7/2, 8/1, 9) तिचांड 01.9.23 को पेश
हो।

4.9.23 पत्रावली पेश हुई। आभिनाषक अपीलार्थ रस्यो- 4, 7, 8
8/2 उपस्थित। आभि. अपीलार्थ रस्यो- सं. 7/2, 7/2, 7/3
कनोअ रविच्छे लो ले पत्रावली पेश जागे। पत्रावली
वापस तलनी नोरीन रस्यो सं. 7/2, 11/2, 12/3, 13/4, 14/5
रस्यो व वलन प्राप्ता आदेश- 22 तिफम पथर लेख्यो
3, 7, 8, 9) तिचांड 12.10.23 को पेश हो।

12/23

पत्रावली पेश हुई। आभिनाषक अपीलार्थ एवं
अपीलांतस उपस्थित नहीं। आभिनाषक रस्यो सं.
6/2, 7/3, 8/2 उपस्थित। आभिनाषक अपीलार्थ
एवं अपीलांतस की कई बार कक-कक कर
आवाजे दिखाई गई, किन्तु उपस्थित नहीं हुए। अतः
अपील अपीलांतस अहम हाजरी अहम फेरनी पेशवादि
की जारी हो। पत्रावली प्रकृतमार वापस न भेजा
से उम- हो।

REGAR
R- 4/1, ति 2/3
8/1/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

अपील / टि.ए. संख्या..... / 2016 / अजमेर

2016/00048

भंवरलाल पुत्र गोपीकिशन (मृतक, जरिये विधिक वारिसान)

1. ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल
2. श्रीमती नोरती पत्नी भंवरलाल
3. शिवरतन पुत्र भंवरलाल
4. लक्ष्मीकान्त पुत्र भंवरलाल
5. लीला पुत्री भंवरलाल
6. शीला पुत्री भंवरलाल
7. श्यामा पुत्री भंवरलाल
8. मधु पुत्री भंवरलाल

समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र गणपतलाल
2. भागचन्द पुत्र बाबुलाल
3. शिवलाल पुत्र बाबुलाल (मृतक)
4. लालचन्द पुत्र बाबुलाल (मृतक, जरिये विधिक वारिसान)
 - 4/1 श्रीमति कौशल्या पत्नी लालचन्द
 - 4/2 अशोक पुत्र लालचन्द
 - 4/3 शारदा पुत्री लालचन्द
 - 4/4 संतोष पुत्री लालचन्द
 - 4/5 आशा पुत्री लालचन्द
 - 4/6 विंजु पुत्री लालचन्द
 - 4/7 पार्वती पुत्री लालचन्द
5. पृथ्वीराज पुत्र खुबचन्द (नाओलाद फौत, नाम तर्क किये जाने योग्य)
6. नन्दलाल पुत्र खुबचन्द (मृतक, जरिये विधिक वारिसान)
 - 6/1 श्रीमती मन्नी पत्नी नन्दलाल
 - 6/2 शंकर पुत्र नन्दलाल
 - 6/3 मोहन पुत्र नन्दलाल
 - 6/4 अन्जु पुत्री नन्दलाल
 - 6/5 मंजु पुत्री नन्दलाल
7. कालु पुत्र गोपीकिशन (मृतक, जरिये विधिक वारिसान)
 - 7/1 श्रीमति पुनी पत्नी कालुराम
 - 7/2 प्रेमप्रकाश पुत्र कालुराम (फौत)

- 7/3 बनवारी पुत्र कालुराम
 7/4 राजेश पुत्र कालुराम
 7/5 राकेश पुत्र कालुराम
 7/6 मुन्नी पुत्री कालुराम (कैलाश)
 7/7 मन्जु पुत्री कालुराम
8. नोरत पुत्र गोपीराम (मृतक, जरिये विधिक वारिसान)
 ✓ 8/1 श्रीमती कैलाश देवी पत्नी नोरत (कैलाश)
 RD 8/2 श्यामसुन्दर पुत्र नोरत
 8/3 दामोदर पुत्र नोरत
 ✓ 8/4 अन्जु पुत्री नोरत
9. ✓ मदनलाल पुत्र गोपीकिशन (कैलाश)
 समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी रूपनगढ़, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर।
- 10/ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़, जिला अजमेर।
 रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.01.2016 जो विद्वान उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 85/1996 (नवीन संख्या 16/2014) बउनवानी "भंवरलाल (मृतक) बनाम राधेश्याम" आदि में पारित की गयी है।

श्रीमान्जी,

अपीलान्ट्स अपील के संक्षिप्त तथ्यों सहित निम्न निवेदन करते हैं:-

- अ) यह कि प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मूल वादी भंवरलाल ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के समक्ष विरुद्ध रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण के एक राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कृषि भूमि स्थित ग्राम दरडून्द, पटवार हल्का निदूटी के आराजी खसरा नम्बर 161 रकबा 22 बीघा 18 बिसवा (जिनके दौराने एकीकरण खसरा संख्या 275/1 व 275/2 थे एवं सेटलमेन्ट सम्वत् 2010 में खसरा नम्बर 275 थे) भूमि (जिसे सुलभता हेतु प्रश्नगत अपील में विवादित कृषि

Lalmani.